न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई..ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 043/2015

1 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह जाति मजहबी साकिन 13 एफ बडा तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 नानक सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह जाति, मजहबी साकिन 13 एफ बडा तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।

2 पप्पी पुत्री श्री सुच्चा सिंह जाति मजहबी साकिन 13 एफ बडा तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।

3 भागी पुत्री श्री सुच्चा सिंह जाति मजहबी साकिन 13 एफ बडा तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।

4 स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए आर.टी.ए. घोषणा, विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री औम प्रकाश बत्तरा अधिवक्ता — वादी
2. श्री बलजीतसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19.02.2019

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता सुच्चा सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह को भारत सरकार द्वारा चक 13 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर मे मुरबा नम्बर 28 में किला नम्बर 1 ता 25 व मुरबा नम्बर 46 में किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 कुल 9.407 हैक्टर रकबा अलाट किया गया है।

वादी का पिता मरने के बाद घरू बंटवारा के तौर पर वादी के हिस्सा में मुरबा नम्बर 28 का किला नम्बर 1, 2 एवं 3 का 10 विस्वा, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 कुल 13 बीघा 10 विस्वा रकबा दिया गया तब से लेकर आज तक वादी उपरोक्त जमीन का कब्जा एवं काश्त चली आ रही है अब भी मौका पर वादी का कब्जा एवं काश्त है।

प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में 0.632 हैक्टर रकबा दर्ज है जब कि उनका कब्जा कभी नही रहा है जब सुच्चा सिंह जीवित थे तब से कब्जा नही था उसके मरने के बाद भी उनका इस भूमि पर कब्जा नही रहा है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मन में बदनिति आ गई है इसी बदनिति की वजह से वह वादी के कब्जा काश्त की भूमि मुरबा नम्बर 28 के किला नंम्बर 1, 2 व 3 का 10 विस्वा में नाजायज तौर पर कब्जा करना चाहते है जब कि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

अभी इस जमीन का बंटवारा नही हुआ है तब तक कानूनी किसी प्रकार से भी प्रतिवादीगण का कोई हक नही है।

वादी का कब्जा अरर्सा करीबन 30 वर्ष से चला आ रहा है प्रतिवादीगण का अधिकार समाप्त होकर वादी को अधिकार प्राप्त हो गये है वादी इस जमीन का खातेदार हो चुका है। कल रोज प्रतिवादीगण 1 ता 3 उनके साथ तीन चार अन्य व्यक्ति और साथ लेकर खेत में गये तथा धमकिया देने लगे कि आप जमीन खाली कर देवे वरना हम इस जमीन पर जबरन कब्जा कर इस जमीन को आगे बेचान कर देगें वादी ने उनको ललकारा तो वे भाग गये तथा प्रतिवादीगण ने ऐलानियां धमकिया दी है कि आज तुम मौका पर आ गये फिर मौका लगेगा तो हम कब्जा कर लेगे।

प्रतिवादीगण कानून को अपने हाथ में ले रहे है। इसलिए वादी वाद प्रस्तुत करने के अलावा और कोई चारा नही रहा है इसलिए यही बिनाए दावा हाजा है। वादी का बहुत पुराना कब्जा है प्रतिवादीगण के तमाम अधिकार समाप्त हो गये है इसलिए तमाम अधिकार के निहित हो गये है इसलिए वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने का हकदार है।

प्रतिवादीगण कानून हाथ में लेकर जबरन कब्जा करना चाहते है इसलिए वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। वाद अन्दर मियाद है।

लिहाजा दावा वादी पेश करके अर्ज है कि दावा वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री सादिर किया जावे :–

(क) यह कि डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण 2–3 के नाम चक 13 एफ बडा का मुरबा नम्बर 22–41 में प्रतिवादीगण की 0.632 हैक्टयर जो दर्ज हैं उनका नाम हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कि जाये।

(ख) वादी के हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण चक 13 एफ बडा का मुरबा नम्बर 28 के किला नम्बर 1–2 व 3 का 10 विस्वा रकबा के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त बारी पानी उपयोग उपभोग में किसी तरह से मदाखलत करने से बाज व ममनू रहे।

(ग) अन्य अनुतोष जो कि वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वादी वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद–पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 2 जिस प्रकार से दर्ज है कतई स्वीकार नही है, अराजी जेर बहस का कभी विभाजन नही हुआ है, ना ही वादी के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 28 का किला नम्बर 1, 2, 3 का 10 बिस्वा, 7, 8, 13, 14, 18, 21 ता 25 का 13 बीघा 10 बिस्वा कभी हिस्सा में आया ना ही कब्जा काश्त में चला आ रहा है क्योकि कभी बटवारा ही नही हुआ तो किला वाईज कब्जा होने का प्रश्न पैदा नही होता, अतः कब्जा मुश्तरका है, सहमति से किला नम्बर 2 में पक्की ढाणी प्रतिवादी संख्या 2 ने बना रखी है। किला नम्बर 19 में ढाणी प्रतिवादी संख्या 3 ने बना रखी है तथा किला नम्बर 1 में ढाणी प्रतिवादी संख्या 1 नानकसिंह नें बना रखी है, इस प्रकार किला वाईज का कथन स्पष्ट तौर से गलत किया गया है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 3 कानूनी है। चरण संख्या 4 रिकॉर्ड से सम्बन्धित है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 का किसी भूमि पर कब्जा नहीं हो बल्कि कब्जा मुश्तरका चला आ रहा है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 5 भी गलत होने से स्वीकार नही है। जब किला वाईज विभाजन ही नहीं हुआ तो मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 2 व 3 के 10 बिस्वा में नाजायज कब्जा करने की कोशिश करने का प्रश्न पैदा नही होता है बल्कि कब्जा समस्त अराजी पर मुश्तरका है। वादी ने स्वयं ने मद संख्या 6 में यह माना है कि जमीन का अभी तक बटवारा नही हुआ है इस प्रकार वादी के कथन स्वयं में ही विरोधाभासी है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 6 में यह स्वीकार है कि विभाजन नही हुआ मगर शेष कथन गलत होने से स्वीकार नही है। चरण संख्या 7 भी गलत होने से कतई स्वीकार नही है। मुश्तरका खाता की आराजी में प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत लागू नहीं होता, वादी ने यह गलत कथन किया है कि उसका 30 साल से किला वाईज भूमि पर कब्जा चला आ रहा हो बल्कि कब्जा मुश्तरका है, ढाणीयां प्रतिवादीगण ने वादी की सहमति से बना रखी है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 8 गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। वादी को किसी प्रकार से वाद कारण ही हासिल नहीं हुआ अतः दावा खारिज करने योग्य है। हाजा के कथन झूठे व मिथ्या हैं, जो कि कतई स्वीकार नही है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 9 भी गलत होने से स्वीकार नहीं है। वादी ने दावा में कही यह अंकित नही किया कि कब किस तारीख को बिनाए मुखासमत हासिल नही हुई अतः दावा खारिज करने के योग्य है। चरण संख्या 10 कतई स्वीकार नही है। आराजी मुश्तरका खाता की है कभी विभाजन नही हुआ तथा प्रतिकूल कब्जा का प्रश्न पैदा नही होता क्योकि कब्जा मुश्तरका चला आ रहा है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 11 भी गलत होने से स्वीकार नही है। चरण संख्या 12 भी गलत होने से स्वीकार नहीं है। चरण संख्या 13 में चाहा गया अनुतोष कतई स्वीकार नही है। दावा वादी मय खर्चा खारिज करने के है। वादी किसी प्रकार की घोषणा अथवा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी नहीं है ना ही प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत लागू करता है, अभी तक विभाजन नहीं हुआ है अतः पहले विभाजन करवाया जाने के बाद ही कोई अन्य अनुतोष की मांग की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 रिकॉर्डड खातेदार है अतः रिकॉर्डड खातेदार के खिलाफ कोई स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती।

लिहाजा जवाब दावा पेश करके अर्ज है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे, वादी के नाम से केवल 1.127 हैक्टर दर्ज है, अतः विभाजन करवाकर अपने हिस्सा का रकबा अलग करवा सकता है।

पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि राजस्व अभिलेख में अंकित सहखातेदार जो विरास्तन हक प्राप्त है कि भूमि पर कब्जे के आधार पर अधिकार प्राप्त कर स्थगन प्राप्त करना बिना किसी साक्ष्य के स्वीकार नहीं है।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत करनें पर पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि चक 13 एफ बडा का मुरब्बा नम्बर 28, 41 के 0.632 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2, 3 का नाम दर्ज हैं, को हटाया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ? – – वादी
2. आया उक्त विवादास्पद भूमि की वादी के हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण चक 13 एफ बडा का मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 1, 2 व 3 का 0.10 बीघा शान्तिपूर्वक कब्जा में बारी पानी उपयोग उपभोग में किसी तरह से मदाखलत करने से बाज व ममनू रहे ? – – वादी

लगातार 4

उक्त चक के मुरब्बा नम्बर 28 की 13.10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में कभी विभाजन नहीं हुआ ना ही वादी के कब्जा काश्त में रही है। किला नम्बर 19 में ढ़ाणी प्रतिवादी संख्या 3 ने बना रखी है। किला नम्बर 1 में ढाणी प्रतिवादी संख्या 1 ने बना रखी हैं। दावा वादी मय खर्चा खारिज किया जावें।

4. अनुतोष

– – प्रतिवादीगण

उक्त तनकीयात को सिद्ध करने हेतु वादी द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया गये। प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करनें हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करनें पर भी साक्ष्य पेश नहीं करनें पर दिनांक 13.02.2019 को प्रतिवादी के साक्ष्य बन्द किये गये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद पत्र का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार किया जाता है :–

1. तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करनें का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया जिरह का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा अपनें शपथ पत्र में वादपत्र के बिन्दूओं को ही दोहराया गया वादी द्वारा विवादित के सम्बंध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध हो की प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की विवादित आराजी चक 13 एफ बडा का मुरब्बा नम्बर 28, 41 के 0.632 हैक्टर भूमि वादी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण की गई हो जिसके आधार पर वादी का कब्जा हैं अतः साक्ष्य के अभाव में तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
2. तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करनें का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से पाया कि वादी द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख अपनें वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध हो कि वादी का वादाधीन भूमि वादी को हस्तान्तरण की जा चुकि है, जिसके आधार पर विवादीत भूमि का कब्जा वादी को है अतः तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
3. तनकी नम्बर 3, को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादीगण पर था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करनें के कारण तनकी नम्बर 3 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उभयपक्ष की समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा दस्तावेजात का अवलोकन किये जानें पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की विवादित आराजी चक 13 एफ बडा का मुरब्बा नम्बर 28, 41 के 0.632 हैक्टर भूमि वादी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण की गई हो जिसके आधार पर वादी का कब्जा है, के सम्बंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध होनें से वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी जावे पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 19.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन अतिरिक्त कलक्टर
श्रीगंगानगर